स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 234, दिनांक–23–09–2020

थाना नौहझील, जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0स0–28/2020 धारा 395 भादवि एवं मु0अ0स0 29/2020 धारा 395 भादवि, यमुना एक्सप्रेस–वे पर डकैती की घटना में वॉछित घुमन्तू जाति के सक्रिय व रूपया 50,000/– के ईनामी अपराधी रामू पुत्र रामपाल को एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 22–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना नौहझील जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0स0 28/2020 धारा 395 भादवि एवं मु0अ0स0 29/2020 धारा 395 भादवि, डकैती की घटना में वॉछित घुमन्तू जाति के सक्रिय अपराधी रूपया 50,000/– के ईनामी अपराधी रामू पुत्र रामपाल को एक साहसिक मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रामू पुत्र रामपाल निवासी नंगला इन्क्लेव पार्ट–02, फरीदाबाद, हरियाणा हाल पता– डबुआ कालोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाबाद, हरियाणा।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः–

1– 01 तमन्चा 315 बोर

2– 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3– 04 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर

4– एक अदद मोटर साईकिल (बिना नम्बर प्लेट की, स्पेन्डर)

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान/समयः–

दिनांक 22–09–2020 समय 23.58 बजे। अलीगढ़ गोमत मार्ग, थाना नौहझिल, मथुरा क्षेत्र

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से गम्भीर अपराधों में सक्रिय अपराधियों एवं संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्यों तथा घुमन्तू जाति के पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर को ज्ञात हुआ कि दिनांक 22–09–2020 को बबलू बावरिया गिरोह के दो सक्रिय सदस्य, जिनमें एक ईनामी अपराधी रामू बावरिया भी है, थाना खैर जनपद अलीगढ की ओर से मोटर साईकिल से नौहझील मथुरा क्षेत्र में किसी संगीन घटना को अंजाम देने के लिए आयेंगे। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 उप निरीक्षक श्री ब्रहम प्रकाश, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में आरक्षी देवदत्त, आरक्षी राजन कुमार, आरक्षी ऋतुल कुमार, आरक्षी मनोज यादव, आरक्षी मनोज चिकारा व आरक्षी गौरत तोमर की एक टीम गठित कर समस्त तथ्यों/सूचना से प्रभारी निरीक्षक नौहझिल, मथुरा को अवगत कराते हुए सहयोग प्राप्त किया गया। तदोपरान्त

एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा थाना नौहझील पुलिस को साथ लेकर अलीगढ रोड पर चलकर मथुरा–अलीगढ बार्डर पर पुराने मछली तालाब के पास पहुँचकर चैकिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, उसी दौरान अलीगढ–गोमत मार्ग की तरफ से एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनको चैकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो तभी मोटर साईकिल सवार द्वारा पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुंए जान से मारने की नियत से फायर किये गये, जिसमें एस0टी0एफ0 के आरक्षी ऋतुल कुमार एवं आरक्षी राजन घायल हुए तथा आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किये जाने पर एक बदमाश घायल हुआ, जिसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिससे उपरोक्त नाजायज अस्लाह बरामद हुआ तथा एक बदमाश भागने में सफल रहा।

पकड़े गये घायल बदमाश से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामू पुत्र रामपाल निवासी उपरोक्त बताया। इसके पश्चात तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए घायल बदमाश रामू पुत्र रामपाल तथा घायल हुए दोनो आरक्षियों को उपचार हेतु राजकीय वाहन से सी0एच0सी0 नौहझिल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल, उपरोक्त की गिरफ्तारी पर आगरा परिक्षेत्र आगरा के के द्वारा रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल (उम्र लगभग 28 वर्ष) की आपराधिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि इस अपराधी का पिता/अपराधी रामपाल वर्तमान में जनपद अलीगढ़ की जेल में निरूद्व है। अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल ने अपने पिता के साथ ही अपराध जगत में प्रवेश किया था। उल्लेखनीय है कि अपराधी रामू घूमन्तू जाति के बबलू बावरिया गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, जो बबलू बावरिया का सगा भाई भी है, जो वर्ष 2010 में बबलू बावरिया के साथ थाना झज्जर, हरियाणा से जेल गया था और लगभग 03 वर्ष जेल में रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल द्वारा अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर निम्न घटनाऐं कारित किया जाना प्रकाश में आयाः–

1– दिनांक 23/24.10.2019 को जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस–वे पर रामू पुत्र रामपाल व इसके गैंग ने गाड़ी पंचर करके 10 लाख रूपये लूटने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना टप्पल, अलीगढ पर मु0अ0सं0ः 413/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

2– दिनांक 23.01.2020 को जनपद मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्रान्तर्गत यमुना एक्सप्रेस–वे पर अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के साथ बलैनो कार पंचर करके गाड़ी को रोककर लैपटॉप, मोबाईल फोन व 08 हजार रूपये लूटने की घटना की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील, मथुरा पर मु0अ0सं0–28/20 धारा 395 भादवि पंजीकृत है।

3– दिनांक 23–01–2020 को ही जनपद मथुरा के थाना नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस–वे पर गाडी का टायर पंचर करके 80 हजार रूपये, फोन आदि लूट लेने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील, मथुरा पर मु0अ0सं0ः29/2020 धारा 395 भादवि पंजीकृत है।

4– दिनांक 27.01.2020 को हरियाणा में जनपद पलवल के थाना हथीन क्षेत्र में पलवल हाई–वे पर रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के साथ मिलकर स्विफ्ट कार में पंचर करके 05 हजार रूपये लूटने तथा 14 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की घटना की थी जिसके सम्बन्ध में थाना हथीन, जनपद पलवल, हरियाणा पर मु0अ0सं0ः21/20 धारा

6/25 आर्म्स एक्ट तथा धारा 365/377/395/397 भादवि व 06 पॉस्को अधिनियम पंजीकृत है।

5– 01.03.2020 को जनपद बागपत के थाना चॉदीनगर क्षेत्र में पैरीफेरल पर रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के साथ मिलकर क्रेटा कार में पंचर करके 50 हजार रूपये लूटने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना चॉदीनगर, बागपत पर मु0अ0सं0: 34/20 धारा 394,506 भादवि पंजीकृत है।

6– दिनांक 14.05.2020 को हरियाणा में जनपद पलवल के थाना हथीन क्षेत्र में पलवल हाई–वे पर रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर 04 हजार रूपये, चैन, कान की बाली व पाजेब आदि लूटने की घटना की थी जिसके सम्बन्ध में थाना हथीन, जनपद पलवल, हरियाणा पर मु0अ0सं0:165/20 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट तथा धारा 379ए भादवि पंजीकृत है।

7– दिनांक 24.05.2020 को हरियाणा में ही जनपद पलवल के थाना सदर पलवल क्षेत्र में रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के साथ क्रेटा कार रोककर 20 हजार रूपये लूटने की घटना की थी जसके सम्बन्ध में थाना सदर पलवल, हरियाणा में मु0अ0सं0: 163/20 धारा 395,397 भादवि पंजीकृत है।

8– दिनांक 22.06.2020 को हरियाणा में जनपद पलवल के थाना पलवल सादर क्षेत्र में रामू पुत्र रामपाल ने अपने गैंग के साथ बोक्सवेगन कार को पंचर करके 25 हजार रूपये, झुमगी, मंगल सूत्र, पाजेव, अंगूठी व पर्स लूटने की घटना की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर पलवल, हरियाणा पर मु0अ0सं0:162/20 धारा 25/54 आर्म्स एक्ट तथा 379ए भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ हैः–

क्र0सं0	**मु0अ0स0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	413/2019	392 भादवि	टप्पल	अलीगढ
2	296/09	379 भादवि	झज्जर	हरियाणा
3	624/09	379 भादवि	झज्जर	हरियाणा
4	288/09	379 भादवि एवं 135 ईसी एक्ट	झज्जर	हरियाणा
5	298/09	379 भादवि एवं 135 ईसी एक्ट	झज्जर	हरियाणा
6	524/09	379 भादवि	झज्जर	हरियाणा
7	34/10	399/402 भादवि एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट	झज्जर	हरियाणा
8	05/10	395/396/216 भादवि एवं 25/54/59 आर्म्स एक्ट	झज्जर	हरियाणा
9	29/10	379 भादवि	पटौदी	हरियाणा
10	06/10	379 भादवि	पटौदी	हरियाणा
11	28/2020	392 भादवि	नौहझील	मथुरा
12	29/20	395 भादवि	नौहझील	मथुरा

13	21/2020	6/25 आर्म्स एक्ट, 365,377,395,397 भादवि	हथीन	पलवल, हरियाणा
14	34/2020	394,506 भादवि	चॉदीनगर	बागपत
15	165/2020	25/54/59 आर्म्स एक्ट, 379ए भादवि	हथीन	पलवल, हरियाणा
16	162/2020	25/54 आर्म्स एक्ट, 379ए भादवि	सदर पलवल	पलवल, हरियाणा
17	163/2020	395,397 भादवि	सदर पलवल	पलवल हरियाणा
18	368/20	307 भादवि	नौहझिल	मथुरा
19	369/20	3/25 आर्म्स एक्ट एवं 41/102 सीआरपीसी	नौहझिल	मथुरा

अभियुक्त रामू पुत्र रामपाल के विरूद्ध थाना नौहझिल मथुरा पर मु0अ0सं0 368/20 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0स0 369/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 41/102 सीआरपीसी के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना नौहझिल, मथुरा द्वारा की जा रही है।

————————